भारत सरकार

जलशक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का मई, 2020 माह का मासिक सार।

आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुगम बनाने और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन हेतु अधिकारप्राप्त समूह- 5

भोजन एवं दवाओं जैसी आवश्यक मदों की उपलब्धता हेतु आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन हेतु गृह मंत्रालय के दिनांक 29.03.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-1(ए) के द्वारा गठित अधिकारप्राप्त समूह 5 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन बैठक आयोजित की। इसने परिवहन संघ, औद्योगिक निकायों, मंत्रालयों और राज्यों सहित और अन्य हितधारकों के साथ अनेक बार चर्चा भी आयोजित की। इन चर्चाओं के आधार पर, अधिकारप्राप्त समूह ने अनिवार्य वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय को अनेक नीतिगत सिफारिशें भेजीं। साथ ही, इस समूह ने जमीनी स्तर पर विशिष्ट आपूर्ति व्यवधानों का निदान करने का भी प्रयास किया।

"बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार" अभियान

सचिवों की समिति की एक बैठक 15 मई, 2020 को आयोजित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सूचना और संचार तथा जन जागरूकता के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय अधिकारप्राप्त समूह 8 (ईजी 8) के साथ मिलकर कोविड - 19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और आजीविका संबंधी जागरूकता सृजन हेतु एक संचार अभियान तैयार करेगा जिनमें कोविड -19 से नहीं घबराने तथा उन लोगों जो कोविड -19 से जुझ रहे हैं या इससे उभर चुके हैं, से भेदभाव न बरतने की आवश्यकता शामिल है।

इस अभियान को "बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार" कहा जाना प्रस्तावित है। अगले कुछ सप्ताह में, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचार संदेश तैयार किए गए हैं जिनमें सभी सावधानियों के साथ वापस काम पर जाने, बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चिकित्सा कर्मियों और आपूर्ति श्रृंखला कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना करते हुए अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसी हस्तियों द्वारा वीडियो और ऑडियो कार्यक्रम शामिल किए गए हैं।

साथ ही, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कोविड -19 काल में साफ-सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में अनुष्का शर्मा और भूमि पेडनेकर के संदेशों के साथ-साथ अतिरिक्त रेडियो कार्यक्रम, दीवार चित्र और पोस्टर संदेश भी तैयार किए हैं। इन संदेशों को विभिन्न मंत्रालयों और

विभागों द्वारा 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' अभियान के तहत अपने संबंधित जमीनी स्तर के कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (2020-21)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एएलपी) 2020-21 की तैयारी के संबंध में दिनांक 19.5.2020 को सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी किया गया। सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे 2 जून, 2020 तक पीआईपी/ एआईपी 2020-21 प्रस्तुत करें।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) हेतु वार्षिक कार्य योजना (2020-21)

हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, असम, लद्दाख, कर्नाटक, मणिपुर, बिहार, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ दिनांक 7 से 29 मई 2020 के दौरान बैठकें आयोजित की गईं ताकि वर्ष 2024 तक 100% एफएचटीसी प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना (2020-21) और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निगरानी

बेसलाइन से छूट गए (एलओबी), कोई भी वंचित रह न रहे (एनओएलबी), शौचालयों के निर्माण और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएसी) के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों के एसीएस/ प्रधान सचिव/ सचिव और ग्रामीण स्वच्छता के मिशन निदेशकों के साथ दिनांक 15.05.2020 को नई दिल्ली में एक वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया।

बेसलाइन से छूट गए (एलओबी), कोई भी वंचित रह न रहे (एनओएलबी), शौचालयों के निर्माण और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएसी) के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के एसीएस/ प्रधान सचिव/ सचिव और ग्रामीण स्वच्छता के मिशन निदेशकों के साथ दिनांक 30.05.2020 को नई दिल्ली में एक अन्य वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया।